

मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1992 (भा. 18, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 उसे पारित किये जाने से संबंधित लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाहियों तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्यसभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79 ए की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखेंगे.

(क) क्रमांक 01-01-चार-107 दिनांक 27 जनवरी, 1992

(ख) क्रमांक 01-01-पांच-395 दिनांक 11 फरवरी, 1992

(ग) क्रमांक 01-07-चार-8611 दिनांक 5 अक्टूबर, 1991

(4) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम लालौर में एक परिवार के तीन व्यक्तियों की हुई हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में भोपाल पेस्टीसाइड कारखाने द्वारा जहरीले रसायन का प्रयोग किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्रीमती जयश्री बेसर्जी, सभापति महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा, बत्तीसवां, तैतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां, एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला दुर्ग विकास खण्ड साजा के ग्राम देवकर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के भवन निर्माण हेतु,

(2) श्री डोमन सिंह, सदस्य, जिला बालाघाट के ग्राम अमई में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने,

(3) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य, जिला बस्तर के विधानसभा क्षेत्र भोपाल पटनम के शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण कराने,

(4) श्री सुबेदार सिंह, सदस्य, जिला मुरैना, तहसील औरा विकासखण्ड पहाड़गढ़ के ग्राम पंचायत छिचोरी करैरा के लिये सड़क एवं ग्राम की सोन नदी पर रपटा निर्माण कराने,

(5) श्री सुधन्वा सिंह नेताम, सदस्य, जिला बालाघाट तहसील बैहर के मानेगांव से बिठली मार्ग पर धुलिया निर्माण कराने,

(6) श्री रामबहादुर सिंह परिहार, सदस्य -

- (क) जिला गुना के चाँचौड़ा मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कायम करने,
(ख) जिला गुना तहसील चाँचौड़ा के ग्राम मालीपुरा में रपटा व स्टापडेम निर्माण करने,

(7) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य -

- (क) विकासखण्ड बकस्वाहा विधान सभा क्षेत्र बडामतहरा में कन्या हाईसेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने,
(ख) बडामतहरा विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित कराये जाने,

(8) श्री किशोर सखवार, सदस्य -

- (क) जिला मुरैना के ग्राम क्रोधर तह. पोरसा में क्वारी नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,
(ख) जिला मुरैना ग्राम महुआ परगना पोरसा में हरिजन मोहल्ले से हायर सेकेन्ड्री स्कूल तक खरंजा निर्माण कराये जाने,
(ग) जिला मुरैना ग्राम धरमपुरा तहसील पोरसा में बिजली कनेक्शन दिये जाने,
(घ) जिला मुरैना ग्राम पालि तहसील पोरसा के पुराने कुएँ की मरम्मत कराये जाने,
(च) जिला मुरैना ग्राम धरमपुरा तहसील पोरसा की रजोधा से धरमपुरा तक सड़क निर्माण कराने,

(9) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य -

- (क) जिला मुरैना विकासखण्ड जौरा के ग्राम चंबल के माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत कराने,
(ख) जिला मुरैना के ग्राम मुरैना गांव के श्री केशव सिंह सरपंच के मोहल्ले में नल लाईन डलवाने,
(ग) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम नंदपुरा में नहर के पास गांव जाने के लिए पुलिया निर्माण कराने,
(घ) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम रूअर की सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
(च) भोपाल के वार्ड क्रमांक 33 अम्बेडकर नगर के क्या. नं. 1/1 से लेकर 1/13 तक के पीछे पक्की नाली का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेगे.

6. राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन का बकव्य

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन दिनांक 2 अगस्त, 1991 को पूछे गये अंतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्रमांक 2508) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में बकव्य देगे.

7. राज्य मंत्री परिवहन का बकव्य

श्री सुधाकर बापट, राज्य मंत्री परिवहन दिनांक 3 सितम्बर, 1992 को पूछे गये अंतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क्रमांक 1167) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में बकव्य देगे.

8. संविहित संकल्प

निर्धारित
समय
1 घन्टा

श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे -

"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है."

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 18 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश अज्यापारिक निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 20 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

